तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13.12.21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पचांयत जिन्दास मे पेश हुई तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा. प. किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:13:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मा संख्या :- 204/19 प्रा०त० प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

श्री भैरु S/o मागु गुर्जर निवासी जोरावरपुरा तहसील-माण्डल

--प्रार्थी

बनाम

श्री बद्रीलाल S/o श्री भेरु गुर्जर निवासी जोरावरपुरा त० माण्डल (वगैरा)

-विपक्षीगण
(सहखातेदार पत्थरगढ़ी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 13.12.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर दन किया कि ग्राम.....जोरावरपुरा.....पटवार हल्का.....जिन्द्रास.....तहसील मांडल/में उसके ने /संयुक्त खातों की आराजी नं.....131 149 150 151 152 145 147.....कुल किता .....07..... बा.....1.61.....हेक्टेयर..........स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी दायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते युक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....9-12-19.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का धिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा हीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अत: इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक द्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....जोरावरपुरा..... टवार हल्का.....जिन्द्रास.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....131, 149, 150, 151, 152, 145, 147..... .....कुल किता .....07.....रकबा.....1.61.....हेक्टेयर..... भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....भगवानपुरा.....को .....600/-...../- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गढ़ी नहीं की जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:13:45 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021